

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर:**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 04 शातिर अभियुक्तगण को अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के आदेशो/निर्देशों के अनुपालन में थाना हल्दौर पुलिस को दिनांक 20.11.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुयी कि मोहनपुर तिराहे के पास 05 व्यक्ति किसी संगीन घटना को अंजाम देने की फिराक में खडे हैं। पुलिस टीम मोहनपुर तिराहे पर आये तो पुलिस पार्टी द्वारा दूर से देखने पर पांच व्यक्ति खडे थे पुलिसबल के द्वारा उन पर टार्च की रोशनी लगायी गयी तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किये, जिससे पुलिस पार्टी बाल - बाल बची। पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुये मौके पर 04 अभियुक्तगण 1. प्रशान्त उर्फ चंडी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2. दानिश उर्फ पठान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम उमरी बडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 3. आदित्य कुमार उर्फ जोनी पुत्र धर्मसिंह निवासी खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 4. सचिन सैनी उर्फ जिद्वी पुत्र रोहताश निवासी ग्राम पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रो सहित गिरफ्तार किया। इनका एक अन्य साथी रचित पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्योहारा गिरधर थाना कोशहर जनपद बिजनौर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. प्रशान्त उर्फ चंडी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. दानिश उर्फ पठान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम उमरी बडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. आदित्य कुमार उर्फ जोनी पुत्र धर्मसिंह निवासी खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4. सचिन सैनी उर्फ जिद्वी पुत्र रोहताश निवासी ग्राम पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

फरार अभियुक्त का विवरण

रचित पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्योहारा गिरधर थाना कोशहर जनपद बिजनौर (फरार)

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

- 1- 01 देशी बंदूक 12 बोर
- 2- 01 CMP 12 बोर
- 3- 02 तमंचे 315 बोर
- 4- 05 जिन्दा कारतूस
- 5- 04 खोखा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्तगण के पंजीकृत अभियोग का विवरण**1. प्रशान्त उर्फ चंडी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर**

1. मु0अ0स0 338/20 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 2 मु0अ0स0 339/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0
3. मु0अ0स0379/20 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2. दानिश उर्फ पठान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम उमरी बडी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

1. मु0अ0स0 338/20 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 2 मु0अ0स0 340/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0

3.आदित्य कुमार उर्फ जोनी पुत्र धर्मसिंह निवासी खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

- 1.मु0अ0स0 338/20 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 2 मु0अ0स0 341/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0
- 3.मु0अ0स0 158/19 धारा 147/323/504 भादवि

4.सचिन सैनी उर्फ जिद्दी पुत्र रोहताश निवासी ग्राम पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

- 1.मु0अ0स0 338/20 धारा 147/148/149/307 भादवि
- 2 मु0अ0स0 342/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- 1.श्री उ0नि0 श्री चन्द्रवीर सिंह थाना हल्दौर,बिजनौर
- 2-श्री संदीप पवार थाना हल्दौर, बिजनौर
- 3-कान्स0 1500 मोहित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4-कान्स0 1086 विनय कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 5.कान्स0 718 सचिन कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 6.का0 918 देवेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 7.का0 265 कुलदीप शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 8.का0 1911 राहुलमान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट थाना धामपुर

थाना धामपुर पुलिस द्वारा रंगदारी माँगने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

दिनांक 06.07.2020 को अशोक अग्रवाल जो होण्डा एजेन्सी के मालिक है और व्यवसायी है उनका बड़ा पुत्र पल्लव उम्र करीब 42 वर्ष घर से अचानक गायब हो गया था जिसकी गुमशुदगी दिनांक 13.07.2020 को थाना धामपुर पर अंकित की गयी । बाद में परिजनो द्वारा कपडे के आधार पर निजामूद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली पर मिले एक शव कि शिनाख्त पल्लव के रूप में की गयी थी । दिनांक 18.11.2020 को अशोक अग्रवाल के फोन पर पल्लव द्वारा फोन किया गया कि मुझे 20 लाख रूपये चाहिए । जिसकी सूचना अशोक अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय को दी गयी जिनके द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए सर्विलांस टीम, स्वाट टीम एवं प्रभारी निरीक्षक धामपुर को उक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया । जिनके कुशल निर्देशन में पल्लव को सकुशल बरामद किया गया ।

इस घटना में संजीव तोमर पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मिट्टेपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर, दीपक पुत्र बीर सिंह निवासी काजीपुरा थाना स्योहारा जिला बिजनौर व शुभम पुत्र मुकेश निवासी लाम्बाखेडा थाना स्योहारा जिला बिजनौर द्वारा योजना के अनुसार उसके पिता को सल्फास की सीसी दिखाकर की आपका लडका आत्महत्या करना चाहता है और आपका नाम ले रहा है उसके परिवारवालों को विश्वास मे ले लिया और परिवारवालों के दिमाग मे भय पैदा कर दिया, दूसरी और पल्लव को भी विश्वास मे ले लिया । दिनांक 06.07.2020 को संजीव तोमर उपरोक्त ही पल्लव का इलाज कराने के बहाने पल्लव को घर से लेकर गया था और उसे रोशनाबाद (हरिद्वार) ले गया । जहां संजीव तोमर के साथी दीपक व शुभम भी मिल गये । उक्त तीनों ने पल्लव को यह कहकर भ्रमित किया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हे मारने की हमे सुपारी दी है और पल्लव को विश्वास में लेकर पल्लव का यह कहते हुए वीडियो बना लिया कि “यदि मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार मेरे पिता व मेरे भाई होंगे और मेरी सम्पत्ति मेरी पत्नि को दे दी जाये” । उक्त वीडियो को संजीव तोमर ने अशोक अग्रवाल को दिखाया व धमकाया कि हम तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देंगे और इसका आरोप तुम पर ही लगेगा व 10 लाख रू० कि रंगदारी मांगी जिसके दबाव में अशोक अग्रवाल द्वारा अभि० गण को 03 लाख 60 हजार रू० दे दिये, अभि० गण शेष रूपयो की मांग करने लगे लेकिन अशोक अग्रवाल ने यह सोचते हुए कि पूरी धनराशि पहुँचने के बाद कही यह वास्तव में मेरे पुत्र की हत्या तो नही कर देंगे बकाया धनराशि नही दी जिस पर दिनांक 18.11.2020 को अभि० गण द्वारा पल्लव पर दबाव बनाकर उससे अपने पिता से 20 लाख रू० की मांग करने हेतु फोन कराया गया । अशोक अग्रवाल की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 504/2020 धारा 386/342/506 भादवि पंजीकृत किया गया है अभि० गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।



थाना कोतवाली देहात:- आज दिनांक 21.11.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा टॉप-10 अभियुक्त मोमीन पुत्र नसीम निवासी सराय डंबर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 305/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना नगीना:- आज दिनांक 21.11.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1- पंकज पुत्र उदय सिंह ग्राम जीतपुर थाना नगीना 2- विशाल पुत्र राजपाल 3- जितीन पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम नियामतपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 21.11.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम गोकुलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 21.11.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- मारूफ पुत्र जुलफकार 2- सलमान पुत्र लुकमान 3- इकराम पुत्र इकबाल निवासीगण ग्राम लोई थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



जनपद बिजनौर दिनांक-21.11.2020



आज दिनांक 21.11.2020 थाना कोतवाली देहात पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा दयानन्द इंटर कॉलेज में जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानों पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 21.11.2020 एंटी रोमियो जिला प्रभारी व थाना कोतवाली शहर पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा एम0 डी0 इंटरनेशनल स्कूल मे जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 21.11.2020 थाना स्योहारा पुलिस द्वारा एम क्यू इंटर कॉलेज कस्बा स्योहारा मे जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी

थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



आज दिनांक 21.11.2020 थाना रेहड पुलिस नवरत्न इंटर कॉलेज कस्बा रेहड मे जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेंकिंग कर मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

